



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-161/2026/746/22-2-2025-17(752)/2023
लखनऊ: दिनांक: 12 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवशरन पाल (बन्दी सं0-52/2020) पुत्र श्री रामयश, जो डगरारा, थाना-लालगंज, जनपद-प्रतापगढ़ का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-132/1983 व 174/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के दण्डादेश दिनांक 02.02.1985 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 14.08.2013 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक 25.12.2023 तक अपरिहार 10 वर्ष 02 माह 07 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष 08 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-161/2026/746(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।
- 3- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।